न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-564/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार
बनाम

(1) सहदेव प्रसाद यादव, पिता-स्व0 सीताराम प्रसाद यादव
सा0-मायाबीधा, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना
(2) अज्ञात वाहन मालिक
(10 चक्का ट्रक पंजीयन सं0-BR25A-9299
ईंजन सं0-MAT42603191123298 के मालिक)......................विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1000/ हि0शा0, दिनांक-17.10.2020) के आलोक में अररिया (आर0एस0) थाना कांड संख्या-756/2020, दिनांक-15.09.2020, धारा-30(क)/36 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त 10(दस) चक्का ट्रक पंजीयन संख्या-BR25A-9299, चेचिस सं0-MAT42603191123298 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त वाहन के मालिक के नाम एवं पता के संबंध में विस्तृत विवरणी की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 48/जि0परि0, दिनांक-11.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित वाहन के वाहन मालिक के नाम एवं पता का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। (2) "दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2021 एवं 10.04.2021 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गयी है। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एकपक्षीय सुना गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1000/ मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि थानाध्यक्ष, अररिया(आर0एस0) को दिनांक 15.09.2020 को गुप्त सूचना मिली कि दो ट्रक में अवैध रूप से बंगाल से स्पिरिट लाया जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर जाने वाला है। प्राप्त सूचना पर वे चालक सिपाही 30 सरोज कुमार, 640 नवीन कुमार, सिपाही 573 जितेश कुमार, हवलदार 50 अरविन्द कुमार सिंह, बी0एम0पी0 11 के बल के साथ करीब 14.30 बजे थाना से प्रस्थान किए। गुप्तचर से प्राप्त सूचना के आलोक में उन्होंने थानाध्यक्ष, सिमराहा, थानाध्यक्ष, फारबिसगंज एवं नरपतगंज थाना को सूचित किया तथा थानाध्यक्ष, आर0एस0 ओ0पी0 को भी सूचित करते हुए हड़ियाबाड़ा टोल प्लाजा पहुँचकर टॉल प्लाजा के समीप वाहन जाँच प्रारंभ किए। करीब 16.00 बजे एक दस चकिया ट्रक का चालक (विपक्षी सं0-01) ट्रक रोककर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से कब्जा में लेकर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा बताया गया कि गाड़ी में भूसी लदा है। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षियों-1. मुस्तकीम, पे0-कासीम, सा0-हरियाबाड़ा, वार्ड नं0-10, थाना एवं जिला-अररिया एवं 2. अब्दुल खालीक, पे0-अब्दुल गनीया, सा0-हरियाबाड़ा, वार्ड नं0-10, थाना एवं जिला-अररिया के समक्ष ट्रक एवं सहदेव यादव की विधिवत् तलाशी ली गयी। तलाशी में एक दस पहिया ट्रक निबंधन संख्या-BR25A-9299, चेचिस संख्या-MAT42603191123298	

अधिहरण वाद संख्या-564/2020

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	पर लदा नीला रंग का प्लास्टिक का कुल-40(चालीस) ड्राम प्रत्येक ड्राम में 200 लीटर स्प्रीट कुल-8000(आठ हजार) लीटर बरामद हुआ। बरामद स्प्रीट एवं उक्त ट्रक को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर थानाध्यक्ष, अररिया आर0एस0 द्वारा जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध अररिया (आर0एस0) थाना कांड संख्या-756/2020, दिनांक-15.09.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध स्पिरिट का जब्त 10(दस) चक्का ट्रक वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त 10 (दस) चक्का ट्रक वाहन राजसात होने योग्य है। जब्त 10(दस) चक्का ट्रक वाहन को राजसात किया जाय। (5) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त 10 (दस) चक्का ट्रक वाहन का उपयोग कुल-8000(आठ हजार) लीटर स्प्रीट को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त स्प्रीट का जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। श्री सुबोध कुमार यादव, उत्पाद रसायनिक परीक्षक, पटना, बिहार के जाँच प्रतिवेदन दिनांक-30.09.2020 के अनुसार जब्त स्प्रीट में ईथायल अल्कोहल 95.8%V/V पाया गया और यह मादक द्रव्य (Intoxicant) है। जब्त 10(दस) चक्का ट्रक पंजीयन संख्या-BR25A-9299, चेचिस सं0-MAT42603191123298 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार अररिया (आर0एस0) थाना कांड संख्या-756/2020, दिनांक-15.09.2020 में **जब्त 10(दस) चक्का ट्रक पंजीयन संख्या-BR25A-9299, चेचिस सं0-MAT42603191123298 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 22/07 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1721/विधि, अररिया, दिनांक 05/08/21 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	